2024:CGHC:42819-DB

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित दिनाँक–24/10/2024

निर्णय उद्घोषित दिनाँक–05/11/2024

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमाँक–01/2020

न्ध्रप्र देश ।

–––––अपीलार्थी

विरूद्ध

न्ध्रप्र

–––––उत्तरवादी

अपीलार्थी द्वारा	:	श्री विपिन तिवारी, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी द्वारा	:	श्री नवीन शुक्ला, अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! सी.ए.वी. निर्णय !!

द्वारा संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

1. धारा–19 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 सहपठित धारा–96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत इस प्रथम अपील में न्यायालय–प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा व्यवहार वाद क्रमाँक–47ए/2014 **"**गोरा पल्लई वेंकटगिरी **विरूद्ध** श्रीमती येरनाकुला मीरा**"** में पारित निर्णय

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2024.11.05 17:00:26 +0530

दिनाँक–30 सितम्बर, 2019 को चुनौती दी गई है । जिसके तहत अपीलार्थी/पति गोरा पल्लई वेंकटगिरी द्वारा अंतर्गत धारा–13(1)(1अ) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह–विच्छेद बाबत् प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया । जिसे आगे "प्रश्नाधीन निर्णय" से सम्बोधित किया जा रहा है ।

2. यह अविवादित तथ्य है कि उभयपक्ष का विवाह दिनाँक–12/10/2011 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार भिलाई, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ में सम्पन्न हुआ था । अपीलार्थी/पति गोरा पल्लई वेंकटगिरी मूलतः विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश का निवासी है। जबकि उत्तरवादी/ पत्नी श्रीमती येरनाकुला मीरा के पिता तत्समय पंचशील नगर, चरोदा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ में निवासरत् रहे हैं । अपीलार्थी/पति ईस्ट कोष्ट रेल्वे विभाग में विशाखापट्टनम में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत् रहा तथा उत्तरवादी/पत्नी के पिता भी रेल्वे विभाग में कायर्रत् थे । उभयपक्ष दिनाँक–12/10/2012 से पृथक निवासरत् हैं ।

3. अपीलार्थी/पति ने विवाह–विच्छेद हेतु आवेदन वर्ष–2012 में ही विशाखापट्टनम स्थित कुटुम्ब न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था । जो पश्चात् में, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Transfer Petition (Civil) No.–339/2013 में पारित आदेश दिनाँक–21/02/2014 के पालन में कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को अंतरण पर प्राप्त हुआ ।

4. अपीलार्थी/पति का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक–12/10/2011 को विवाह पश्चात् जब उत्तरवादी/पत्नी उसके घर आयी तब दिनाँक–14/10/2011 को विशाखपट्टनम में श्रीनिवास कल्याण मण्डपम् में रिसेप्शन का आयोजन किया गया जिसमें वह खुश नज़र नहीं आ रही थी बल्कि विचलित नज़र आ रही थी जिसे लेकर लोगों में बातें होने लगी । विवाह के दूसरे ही दिन स्वयं उत्तरवादी/पत्नी ने उसे बताया

कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रंथपाल से प्रेम संबंध था जिसके साथ वह कई रातें बिता चुकी है और उनका शारीरिक संबंध भी स्थापित हुआ था जिसे वह भूल नहीं सकती है । ये बातें सुनकर अपीलार्थी/पति को आश्चर्य और घोर मानसिक संताप हुआ। जब यह बात उसने उत्तरवादी/पत्नी के पिता को बतायी तो उन्होंने वादा किया कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और अपनी पुत्री अर्थात् उत्तरवादी/पत्नी की जिम्मेदारी वह लेता है । सुहागरात के दिन भी उत्तरवादी/पत्नी समागम करने के बजाये अपने प्रेमी से फोन पर बातें करने लगी और अपीलार्थी/पति का मजाक उड़ाने लगी । जब उत्तरवादी/पत्नी को यह जानकारी हुई कि उसके हरकतों की जानकारी अपीलार्थी/पति ने उसके पिता को दे दिया है तब उत्तरवादी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति को धमकी देते हुए कहा कि उसकी जिंदगी वह नर्क बना देगी । उत्तरवादी, पत्नी–धर्म ना निभाते हुए उसे खाना बनाकर नहीं देती थी। कई बार वह भूखे पेट काम पर जाता था । वह उसके बगल में सोकर प्रेमी से बात करती थी । प्रेमी के साथ मिलकर उसे जान से मार देने की और उसके स्थान पर स्वयं नौकरी करने की धमकी देती थी । उसे जोकर के समान प्रस्तुत कर प्रेमी के साथ हंसी–मजाक करती थी । विवाह के समय घर में आये मेहमानों को बाहर भगाकर कमरा बंद कर लेती थी । जब वह सोता था तो उसके ऊपर चढ़कर गला दबा देती थी। वह ड्यूटी से थका–हारा घर वापस आकर आराम करता था तो उसे जगाकर झगड़ा करती थी । अपने पिता के आर्थिक रूप से सम्पन्न होने का धौंस दिखाकर उसे भिखारी कहती थी । दिनाँक–22/03/2012 को ड्यूटी के समय उससे फोन कर झगड़ने लगी । जब उसने ड्यूटी करते हुए कहा कि घर आकर बात करेगा और उत्तरवादी/पत्नी को "OK" बोला । जिसे दूसरे फोन में स्टेशन मास्टर कामलूर ने सुनकर रेलगाड़ी को सिग्नल दे दिया जबकि उस रेलगाड़ी को नक्सल क्षेत्र में जाना था जो स्थान रात 10:00 से सुबह 06:00 बजे तक आवागमन के लिए निषेधित था ।

उस गलती से रेल्वे विभाग को तीन करोड़ का नुकसान हुआ और अपीलार्थी/पति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी । उसके लेजर–बुक में उत्तरवादी/पत्नी ने लिखा कि वह तीन महीने के अंदर उसे छोड़कर चली जायेगी और उसे सूचित किये बिना उत्तरवादी/पत्नी घर छोड़कर चली भी गयी । तब वह रेल्वे स्टेशन उसे ढूंढने गया और लाख मिन्नतें करने के पश्चात् वापस घर लाया । उत्तरवादी/पत्नी का कहना था कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है । माह–अगस्त, 2012 में उत्तरवादी/पत्नी के पिता अपने साथ कुछ गुंडे लेकर उसके घर आकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसे हाथ–मुक्के से मारपीट किये जिसे आस–पड़ोस के लोगों ने देखा और पड़ोसी एम० गोपी ने उसकी जान बचायी । घर में उसके साथ उसके 75 वर्षीय वृद्ध पिता रहते हैं जबकि माँ का पूर्व में ही निधन हो चुका है । वह उपरोक्त प्रताड़ना के फलस्वरूप दिनाँक–09/08/2012 से अवकाश ले लिया और दिनाँक–15/09/2012 को पुनः कार्य पर गया । दिनाँक–08/10/2012 को रात की ड्यूटी के समय उत्तरवादी/पत्नी अपने माता–पिता और गुंडों के साथ कार्यालय में आकर उसके चेम्बर में घुसने की कोशिश किये जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है और उसके सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उसे जान से मारने की धमकी दिये । वह पास में स्थित बी.एस.एन.एल. ऑफिस जाकर तीनों के खिलाफ टेलीग्राम शिकायत दर्ज करवाया । वह डर के कारण से अपने घर भी नहीं गया । उत्तरवादी/पत्नी एवं उसके माता–पिता दो–तीन महीने तक उसके घर में ही उसके पिता के साथ रहे । तत्पश्चात् उत्तरवादी/पत्नी उसके पिता से यह कहकर कि वह बोर हो गयी और अपने माता–पिता के साथ घूमने भिलाई जाना चाहती है यह कहकर अलमारी में रखे गहने अपने साथ ले गयी जो फिर वापस नहीं आयी । पश्चात् में दिनाँक–13/03/2013 को अर्थात् उसका घर छोड़ने से करीब पाँच माह पश्चात् झूठा आरोप लगाते हुए उसके, उसके पिता, भाईया–भाभी, मौसी के बेटे–बेटी, मामा और

उसके नानी के नौकर के ऊपर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दी । उत्तरवादी/पत्नी ने उसपर यह भी आरोप लगाया कि अपीलार्थी/पति का स्वयं अपनी भाभी के साथ अवैध–संबंध है जिस कारण वह मानसिक रूप से अत्यधिक विचलित हो गया है । इस प्रकार, परिवार में कलेश और दूषित वातावरण पैदा हो गया है । उत्तरवादी/पत्नी द्वारा इस प्रकार से उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रुरता की गयी है । अतः विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान की जाये ।

5. उत्तरवादी/पत्नी ने अपने विपरीत वाद पत्र के अभिवचन और साक्ष्य को इन्कार करते हुए इस आशय का जवाब पेश किया है कि अपीलार्थी पति द्वारा सुहागरात के दिन उसकी नग्न तस्वीरें खींचकर वीडियो क्लिप बनायी गयी और उसे धमकी दी गयी कि उसे इंटरनेट में डाल देगा । अपीलार्थी/पति ने विवाह के पश्चात् उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये हैं जिसका कभी वह विरोध नहीं की बल्कि हमेशा सहयोग करती थी । विवाह के समय अपीलार्थी पक्ष द्वारा दहेज की मांग पर उसके माता–पिता ने 8,00,000/– रूपये दिये थे । पुनः मांग पर उसके माता–पिता ने पोस्ट ऑफिस में जमा रकम 4,00,000/–रूपये, रंगीन टी०व्ही० व अन्य घरेलू सामान क्रय करने के लिए 2,00,000/–रूपये उसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम से सोना क्रय करने के लिए 2,00,000/–रूपये तथा स्वयं उसके लिये 7,00,000/–रूपये का सोना क्रय कर दिये थे । जिसे अपीलार्थी पक्ष ने स्वीकार किया था । अपीलार्थी जब ड्यूटी से आता था तो सीधे अपने भाभी के कमरे में जाता था जहां 03:00–04:00 घंटे रहने के पश्चात् बाहर निकलता था । अपीलार्थी/पति का अपनी भाभी से अवैध संबंध था यह बात स्वयं उसकी भाभी ने उसे बतायी थी । अपीलार्थी/पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था इसलिए वे तलाक के लिए दबाव बनाने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र किये। जिससे कि उसका अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध में कोई बाधा न आये । इसके साथ–साथ उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर ताना मारने लगे ।

अपीलार्थी ने उसके साथ मारपीट की और कोरे कागज में हस्ताक्षर करने के लिए भी दबाव डाला था और कहा था कि उसे तलाक चाहिए । इन सब बातों की शिकायत उसने अपने माता–पिता से की थी । तो अपीलार्थी/पति और उसके परिजन कहने लगे कि 3–4 माह तक खुशी मना लो उसके पश्चात् तलाक के उपरांत तुम्हें मायके जाना होगा । उसे देहाती छत्तीसगढिया कहते हुए अपमानित करते थे और बोलते थे कि उसके माता–पिता ने उसे व्यवहार नहीं सिखाया है । जब अपीलार्थी/पति 2–4 दिन तक वापस घर नहीं आया तब उत्तरवादी/पत्नी उसके कार्यालय में जाकर पूछताछ की थी जहां अपीलार्थी/पति के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे जिन्होंने अपीलार्थी/पति को उसके साथ घर जाने के लिए निर्देश दिया था । अपीलार्थी/पति द्वारा बुलाये गये गुंडों के द्वारा मारपीट की गयी और धमकी दी गयी कि वह विशाखापट्टनम में न दिखे अन्यथा जान से मार दी जायेगी । तब वह पिता के साथ वापस अपने घर चरोदा, दुर्ग आ गयी । उसने दहेज की मांग, मारपीट, घर से निकाल देने आदि की प्रताड़ना हेतु धारा–498'अ' भारतीय दण्ड संहिता के तहत रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जिसका मामला भिलाई के न्यायालय में लंबित है जिसमें अपीलार्थी/पति और उसके परिजनों को गिरफ्तार भी किया गया था । इस प्रकार, अपीलार्थी/पति द्वारा उसके साथ प्रताड़ना की गयी है और झूठे आरोप लगाकर विवाह–विच्छेद का आवेदन पेश किया गया है ।

6. अपीलार्थी/पति द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं के साथ–साथ एम० गोपालकृष्णा (वादी साक्षी क्रमाँक–2) एवं पी० बालकृष्ण (वादी साक्षी क्रमाँक–3) का परीक्षण करवाया गया तथा प्रदर्श पी–1 से लेकर प्रदर्श पी–21 तक के दस्तावेज अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं । दूसरी ओर उत्तरवादी/पत्नी की ओर से स्वयं के साथ–साथ अपने पिता वाई० रामाराव (अनावेदक साक्षी क्रमाँक–2) का परीक्षण करवाया गया है तथा धारा–498'अ' भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित अभियोगपत्र तथा उसके अन्य दस्तावेज प्रदर्श डी–1 से लेकर प्रदर्श डी–16 तक के प्रस्तुत किये

गये हैं । इस प्रकार, उत्तरवादी/पत्नी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेज धारा–498'अ' भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित पुलिस के अभियोगपत्र से संबंधित दस्तावेज है । इसके अलावा अपने पक्ष समर्थन में उत्तरवादी/पत्नी की ओर से और कोई दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

7. विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचन, साक्ष्य और तर्क के आधार पर "प्रश्नाधीन निर्णय" पारित किया गया है । जिसमें यह अवधारित किया गया है कि अपीलार्थी/पति यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसके साथ उत्तरवादी/ पत्नी द्वारा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया रहा हो । तब "प्रश्नाधीन निर्णय" को अपीलार्थी/पति द्वारा इस अपील में चुनौती दी गयी है ।

8. अपीलार्थी/पति के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उचित समीक्षा नहीं की गयी है । विचारण न्यायालय ने सतही तौर पर यह माना है कि अपीलार्थी/ पति के साथ कोई क्रूरता नहीं हुई । अभिलेख में उपलब्ध अभिवचन और साक्ष्य की उचित रूप से समग्रतापूर्वक साक्ष्य विवेचना नहीं की गयी है और विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है । यह तथ्य प्रमुखता से आया है कि उत्तरवादी/पत्नी ने अपीलार्थी/ पति पर इस आशय का आरोप लगाया है कि अपीलार्थी/पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है और इस आरोप से उत्तरवादी/पत्नी कहीं पीछे नहीं हटी है बल्कि अभिवचन के साथ–साथ पुलिस में की गयी रिपोर्ट और न्यायालय में दिये गये बयान में भी उक्त आरोप को दोहराया गया है जो झूठा आरोप अपने आप में क्रूरता का परिचायक है । धारा–498'अ' भारतीय दण्ड संहिता के मामले में अनावश्यक रूप से झूठा आरोप लगाते हुए अपीलार्थी/ पति के उन रिश्तेदारों को भी सम्मिलित किया गया है जो उसके साथ निवासरत् भी नहीं है और झूठे रूप से यह आरोप लगाया गया है कि वे फोन पर प्रताड़न देते थे । जबकि उसके

भईया और भाभी शासकीय सेवक होकर अन्य स्थान पर निवासरत् और कार्यरत् रहे हैं। इसी प्रकार, अन्य रिश्तेदार भी उसके साथ निवासरत् नहीं है बल्कि अन्यत्र निवासरत् हैं जिन्हें भी उत्तरवादी/पत्नी ने झूठा फंसाया है । उस झूठी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी/पति जेल में भी रह चुका है । पश्चात् में उस मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/पति के साथ–साथ उसके सभी रिश्तेदारें को दोषमुक्त किया जा चुका है । इस प्रकार, झूठे आरोप लगाकर जेल भेजा जाना भी अपने आप में एक "क्रुरता" है । इसके साथ–साथ उत्तरवादी/पत्नी द्वारा अपीलार्थी/पति के कार्यालय में आकर लड़ाई–झगड़ा करना, अपीलार्थी/पति के पिता के साथ उसके घर में आकर लड़ाई–झगड़ा करना आदि के विषय में भी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारण न्यायालय ने नजरअंदाज किया है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन निर्णय" वैध और उचित नहीं है । अतः अपील स्वीकार कर, "प्रश्नाधीन निर्णय" अपास्त करते हुए, उसके पक्ष में विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति पारित की जाये । अपने तर्क के समर्थन में पहला न्यायदृष्टांत के रूप में इस उच्च न्यायालय द्वारा **Som Kumar Bahidar v. Smt. Jyoti, FAM No. 102 of 2012** में पारित निर्णय दिनाँक–13/09/2017, दूसरा न्यायदृष्टांत **Nisha v. Nandkishor Gajbhiya, FAM No. 150 of 2012** में पारित निर्णय दिनाँक–20/07/2017 तथा तीसरा न्यायदृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Smt. Mayadevi v. Jagdish Prasad, Civil Appeal No. 877 of 2007** में पारित निर्णय दिनाँक–21/02/2007 का हवाला दिया है ।

9. उत्तरवादी/पत्नी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी/पति द्वारा स्वयं यह सुझाव दिया गया है कि वह न सिर्फ सुहागरात में अपनी उत्तरवादी/पत्नी के साथ सहवास किया था बल्कि हनीमून के लिए बाहर भी घूमाने ले गया था । इस बाबत् उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि उत्तरवादी/पत्नी का किसी पुरूष मित्र के साथ

प्रेम संबंध रहा हो । अपीलार्थी/पति किसी भी प्रकार से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उत्तरवादी/पत्नी ने उसके साथ "क्रुरता" का व्यवहार किया हो या उसे कभी–कोई धमकी वैगरह देकर या अन्य रूप में प्रताड़ित किया हो । विचारण न्यायालय का निष्कर्ष उचित है जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः अपील खारित की जाये । अपने तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत के रूप में इस उच्च न्यायालय द्वारा **Ashwan Kumar Sahu v. Smt. Savita Sahu, First Appeal (M) No. 89 of 2018** में पारित निर्णय दिनाँक–18/03/2024 का हवाला दिया है ।

10. उभयपक्ष का तर्क सुना गया तथा अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया ।

11. उभयपक्ष के अभिवचन, प्रस्तुत साक्ष्य और तर्क से यह स्थिति स्पष्ट है कि अपीलार्थी/पति विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश का निवासी होकर, रेल्वे विभाग में कार्यरत् है । उत्तरवादी/पत्नी के पिता भी रेल्वे विभाग में कार्यरत रहे है और सेवानिवृत्त हो चुके हैं । कथित घटना के समय उत्तरवादी/पत्नी अपने पिता के साथ चरोदा, पाटन, भिलाई, जिला–दुर्ग में निवास करती थी । उनका विवाह भिलाई में दिनाँक–12/10/2011 को हिंदू रीति–रिवाज के साथ संपन्न हुआ था । यह भी स्पष्ट है कि दिनाँक–13/10/2012 के पश्चात् से वे साथ में निवासरत् नहीं रहे है । यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी/पत्नी ने ना सिर्फ पुलिस में की गयी रिपोर्ट बल्कि अभिवचन और साक्ष्य में भी यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी/पति का अपने भाभी के साथ अवैध संबंध रहा है । यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/पति ने विवाह–विच्छेद का मूल आवेदन विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश के कुटुम्ब न्यायालय में दिनाँक–19/10/2012 को प्रस्तुत कर दिया था । जबकि उत्तरवादी/पत्नी ने धारा–498'अ' भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस में लिखित रिपोर्ट दिनाँक–

21/12/2012 (प्रदर्श पी–04) के रूप में दी थी जिस पर पुलिस द्वारा अपराध की कायमी दिनाँक–13/03/2013 को की गयी थी । इस प्रकार, स्पष्ट है कि अपीलार्थी/पति ने पहले विवाह विच्छेद हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था तत्पश्चात् उत्तरवादी/पत्नी द्वारा पुलिस में अपीलार्थी/पति व उसके परिजनों के विरूद्ध रिपोर्ट की गयी थी ।

12. अपीलार्थी/पति ने अपने साक्ष्य में अपने वाद की पुष्टि की है और समर्थन में प्रदर्श पी – 01 से लेकर प्रदर्श पी–04 तक के टेलीग्राम संबंधी शिकायतों की प्रति प्रस्तुत की है जो दिनाँक–08 व 09/10/2012 से संबंधित है जिससे उसके इस मामले की पुष्टि होती है कि उत्तवादी/पत्नी उसके कार्यालय में आकर विवाद की थी । उक्त तथ्य का समर्थन अपीलार्थी/पति के पक्ष समर्थन में बयान देने वाले पी० बालकृष्ण (वादी साक्षी क्रमाँक–3) ने भी की है । उक्त साक्षी ने बताया है कि वह अपीलार्थी/पति के साथ ही कार्य करता है और अपीलार्थी/पति का उच्चाधिकारी है । अपीलार्थी/पति द्वारा फोन पर अपनी पत्नी के साथ बातचीत के समय "OK" बोल दिये जाने से बगल में रखे माइक से स्टेशन मास्टर कामलूर ने रेलगाड़ी को उस स्थान के लिए सिग्नल दे दिया जहाँ रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक आवागमन निषेधित था जिसके लिए अपीलार्थी/पति को निलंबित कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई थी । उक्त कृत्य के फलस्वरूप रेल्वे विभाग को तीन करोड़ का नुकसान हुआ था । अपीलार्थी/पति के कर्मठता और ईमानदारी को देखकर उसका निलंबन निरस्त हुआ था । इस साक्षी ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि उत्तवादी/पत्नी और उसके माता–पिता, अपीलार्थी/पति के चेम्बर में आकर उसके साथ गाली–गलौज और मारपीट किये थे तब टेलीफोन ऑफिस से अपीलार्थी/पति ने शिकायत की थी । इस प्रकार से, साक्षी पी० बालकृष्ण जो अपीलार्थी/पति का उच्चाधिकारी है उसने अपीलार्थी/पति के मामले की पुष्टि की है जिसका खण्डन नहीं हो सका है । बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श

पी–1 से लेकर प्रदर्श पी–4 की शिकायत से भी अपीलार्थी/पति के पक्ष की पुष्टि होती है ।

13. अपीलार्थी/पति विवाह के पश्चात् अपनी उत्तरवादी/पत्नी को घूमाने तिरूपति बालाजी, बैंगलुरू गया था इस बात को स्वयं उत्तरवादी/पत्नी ने स्वीकार भी किया है । अपीलार्थी/ पति ने उस संबंध में रेल्वे टिकट और एस.पी.आर. ट्रैवल्स की रसीदें प्रदर्श पी–8, पी–9, पी–10, और पी–11 प्रस्तुत किया है । इससे पाया जाता है कि अपीलार्थी/पति अपनी उत्तरवादी/पत्नी से प्रेम करता था इसलिए उत्तरवादी/पत्नी द्वारा अपीलार्थी/पति पर लगाये गये दहेज प्रताड़ना का आरोप जिसके बाबत् पुष्टि कारक साक्ष्य नहीं है, वह सही प्रकट नहीं होता । उत्तरवादी/पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि विवाह के समय और पश्चात् में भी दहेज की मांग की गयी थी तब उसके पिता ने लाखों के जेवर और नगद तथा सामान खरीदने को रकम दिया था । किन्तु कब, कहां, क्या जेवर खरीदा, किसने रकम दिया, इसके विषय में उत्तरवादी/पत्नी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है । बल्कि उसके प्रतिपरीक्षण के दौरान अपीलार्थी/पति की ओर से जो सूचक एवं सुझावपूर्वक प्रश्न किये गये हैं उनसे यह परिलक्षित होता है कि कब, कहां से कितनी राशि का सोना खरीदा गया इन सब तथ्यों की जानकारी उत्तरवादी/पत्नी के बजाये अपीलार्थी/पति को ज्यादा है । उत्तरवादी/पत्नी की ओर से इस बाबत् भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि उसके इस अभिवचन की पुष्टि होती हो कि उसके माता–पिता ने पोस्ट ऑफिस से रकम निकालकर अपीलार्थी/पति या अपीलार्थी/पति के पिता के खाते में भेजा रहा हो । इस तरह, इस बिंदु पर भी अपीलार्थी/पति का पक्ष ज्यादा मजबूत पाया जाता है ।

14. सम्पूर्ण साक्ष्य से स्पष्ट है कि उत्तरवादी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति पर यह आरोप लगाया है कि अपीलार्थी/पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है । इस बाबत् कोई स्पष्ट

साक्ष्य प्रस्तुत करने में उत्तरवादी/पत्नी असफल रही है । उत्तरवादी/पत्नी ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी/पति की माँ का स्वर्गवास हो चुका है । अपीलार्थी की ओर से अपनी माँ की मृत्यु हो जाने के विषय में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–7 के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे पाया जाता है कि उसकी माँ की मृत्यु दिनाँक–14/01/2004 को ही अर्थात् विवाह से करीब 07 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है । उत्तरवादी/पत्नी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवाह के समय रस्म विवाहित महिला द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है और माँ के न होने से वे रस्म अपीलार्थी/पति के लिए उसके भईया–भाभी ने सम्पन्न किया था । ऐसी दशा में, जब अपीलार्थी/पति के विवाह में रस्म को उसके माता–पिता के रूप में अपीलार्थी के भईया–भाभी ने सम्पन्न किया था तब अन्य किसी भी साक्ष्य के अभाव में उत्तरवादी/पत्नी का यह आरोप कि अपीलार्थी/पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है, वह झूठा परिलक्षित होता है ।

15. जहाँ, पत्नी द्वारा पति पर अन्य महिला से अवैध संबंध के बाबत् आरोप लगाये जाते हैं और उनके बाबत् सुदृढ़ आधार नहीं है तो उसे "क्रूरता" माना जायेगा । ऐसा न्यायदृष्टांत **Smt. Arati Mondal v. Bhupati Mondal,** AIR 2009 Calcutta 200 (204), **Smt. Vimla Ladkani, v. Dr. Chandra Prakash Ladkani,** AIR 1996 Madhya Pradesh 86 (90), **Anita Krishnakumar Kachba v. Krishnakumar Ramchandra Kachba,** AIR 2003 Bombay 273, **Jayakrishna Panigrahi v. Smt. Surekha Panigrahi,** AIR 1996 Andhra Pradesh 19 (23), **Smt. Anita Jain v. Rajendra Kumar Jain,** AIR 2010 Rajasthan 56 and **Smt. Om Pati v. Rajbir,** AIR 2004 Punjab & Haryana 171 (173) में अवधारित किया गया है ।

16. विचाराधीन विवाह–विच्छेद का मामला "क्रूरता" पर आधारित रहा है । "क्रूरता" को

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में परिभाषित नहीं किया गया है । इसलिए "क्रूरता" के बाबत् महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है ।

17. In **Samar Ghosh v. Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511,** Hon'ble the Supreme Court has observed as follows:

> "101. No uniform standard can ever be laid down for guidance, yet we deem it appropriate to enumerate some instances of human behaviour which may be relevant in dealing with the cases of "mental cruelty". The instances indicated in the succeeding paragraphs are only illustrative and not exhaustive:
>
> (i) On consideration of complete matrimonial life of the parties, acute mental pain, agony and suffering as would not make possible for the parties to live with each other could come within the broad parameters of mental cruelty.
>
> (ii) On comprehensive appraisal fo the entire matrimonial life of the parties, it becomes abundantly clear that situation is such that the wronged party cannot reasonably be asked to put up with such conduct and continue to live with other party.
>
> (iii) Mere coldness or lack of affection cannot amount to cruelty, frequent rudeness of language, petulance of manner, indifference and neglect may reach such a degree that it makes the married life for the other spouse absolutely intolerable.
>
> (iv) Mental cruelty is a state of mind. The feeling of deep anguish, disappointment, frustration in one spouse caused by the conduct of other for a long time may lead to mental cruelty.
>
> (v) A sustained course of abusive and humiliating treatment calculated to torture, discommode or render miserable life of the spouse.
>
> (vi) Sustained unjustifiable conduct and behaviour of one spouse actually affecting physical and mental health of the other spouse. The treatment complained of and the resultant danger or apprehension must be very grave, substantial and weighty.
>
> (vii) Sustained reprehensible conduct, studied neglect, indifference or total departure from the normal standard of conjugal kindness

causing injury to mental health or deriving sadistic pleasure can also amount to mental cruelty.

(viii) The conduct must be much more than jealousy, selfishness, possessiveness, which causes unhappiness and dissatisfaction and emotional upset may not be a ground for grant of divorce on the ground of mental cruelty.

(ix) Mere trivial irritations, quarrels, normal wear and tear of the married life which happens in day-to-day life would not be adequate for grant of divorce on the ground of mental cruelty.

(x) The married life should be reviewed as a whole and a few isolated instances over a period of years will not amount to cruelty. The ill conduct must be persistent for a fairly lengthy period, where the relationship has deteriorated to an extent that because of the acts and behavior of a spouse, the wronged party finds it extremely difficult to live with the other party any longer, may amount to mental cruelty.

(xi) If a husband submits himself for an operation of sterilisation without medical reasons and without the consent or knowledge of his wife and similarly, if the wife undergoes vasectomy or abortion without medical reason or without the consent or knowledge of her husband, such an act of the spouse may lead to mental cruelty.

(xii) Unilateral decision of refusal to have intercourse for considerable period without there being any physical incapacity or valid reason may amount to mental cruelty.

(xiii) Unilateral decision of either husband or wife after marriage not to have child from the marriage may amount to cruelty.

(xiv) Where there has been a long period of continuous separation, it may fairly be concluded that the matrimonial bond is beyond repair. The marriage becomes a fiction though supported by a legal tie. By refusing to sever that tie, the law in such cases, does not serve the sanctity of marriage; on the contrary, it shows scant regard for the feelings and emotions of the parties. In such like situations, it may lead to mental cruelty.”

18. In a matter of extra marital affair allegation, Hon'ble the Supreme Court dealing with the said issue in **Narendra v. K. Meena, AIR 2016 SC 4599** redirected the view taken in **Vijaykumar Ramchandra Bhate v. Neela Vijaykumar Bhate, AIR 2003 SC 2462** and held that when the assassination of character is made by either of the parties it would constitute a mental cruelty for which a claim for divorce under Section 13(1)(i-a) of the Hindu Marriage Act, 1955 would be sustainable. Hon'ble the Supreme Court held thus:

> "13. ..... The position of law in this regard has come to be well-settled and declared that levelling disgusting accusations of unchastity and indecent familiarity with a person outside wedlock and allegations of extramarital relationship is a grave assault on the character, honour, reputation, status as well as the health of the wife. Such aspersions of perfidiousness attributed to the wife, viewed in the context of an educated Indian wife and judged by Indian conditions and standards would amount to worst form of insult and cruelty, sufficient by itself to substantiate cruelty in law, warranting the claim of the wife being allowed. That such allegations made in the written statement or suggested in the course of examination and by way of cross-examination satisfy the requirement of law has also come to be firmly laid down by this Court. On going through the relevant portions of such allegations, we find that no exception could be taken to the findings recorded by the Family Court as well as the High Court. We find that they are of such quality, magnitude and consequence as to cause mental pain, agony and suffering amounting to the reformulated concept of cruelty in matrimonial law causing profound and lasting disruption and driving the wife to feel deeply hurt and reasonably apprehend that it would be dangerous for her to life with a husband who was taunting her like that and rendered the maintenance of matrimonial home impossible."

19. उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि दहेज की मांग संबंधी तथ्य को उत्तरवादी/पत्नी द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका है । उत्तरवादी/पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना के बाबत् अपीलार्थी के साथ–साथ उसके और

भी अन्य छः रिश्तेदारों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी । जिसपर दर्ज (अपराध क्रमाँक–149/2013, थाना–पुरानी भिलाई, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़) सी.आई.एस. क्रमाँक–2287/2013 "छत्तीसगढ़ राज्य **विरूद्ध** वेंकटराव व सात अन्य" में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनाँक–30/03/2021 के तहत अभियोजन का मामला प्रमाणित न पाते हुए सभी अभियुक्तगण को धारा–498'अ' सहपठित धारा–34, धारा–406 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेघ अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य से यह स्थापित हुआ है कि उक्त दाण्डिक मामले में अपीलार्थी/पति के भईया–भाभी को भी अभियोजित किया गया जबकि वे अन्य स्थान पर शासकीय सेवा में कार्यरत् रहे हैं । उसके साथ–साथ अन्य दूसरे रिश्तेदारों को भी अभियोजित किया गया है और वे अपीलार्थी के साथ निवासरत् करते रहे हो ऐसा स्थापित होना नहीं पाया गया है । इससे भी परिलक्षित हुआ है कि उत्तरवादी/पत्नी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अपीलार्थी/पति के साथ उसके परिजनों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना आदि का आरोप लगाया गया है जो "क्रूरता" की श्रेणी में आता है ।

20. उत्तरवादी/पत्नी ने अपने अपीलार्थी/पति पर स्वयं के भाभी के साथ अवैध संबंध होने का जो आरोप लगाया था] वह बेबुनियाद था । इसी प्रकार, उत्तरवादी/पत्नी ना सिर्फ अपीलार्थी/पति के कार्यस्थल पर अपने परिजनों के साथ जाकर लड़ाई–झगड़ा कर विवाद की, बल्कि अपने माता–पिता के साथ अपीलार्थी/पति के निवास स्थान पर भी जाकर लड़ाई–झगड़ा और विवाद की तथा उसके डर की वजह से अपीलार्थी/पति कुछ समय तक अपने घर भी नहीं जाता था । स्वयं उत्तरवादी/पत्नी ने यह स्वीकार किया है कि वे करीब दो–तीन माह तक अपीलार्थी/पति के घर में अपीलार्थी के पिता के साथ निवास किये हैं तब अपीलार्थी/पति घर नहीं आता था । यह भी तथ्य प्रमाणित रहा है कि विवाह के एक वर्ष पश्चात् उत्तरवादी/पत्नी विशाखापट्टनम में

अपीलार्थी/पति के घर से स्वयं अपने माता–पिता के साथ भिलाई आकर रहने लगी उसे अपीलार्थी/पति ने मारपीट कर घर से निकाला हो, इस बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है। बल्कि सम्पूर्ण साक्ष्य से यही दृष्टिगत होता है कि उत्तरवादी/पत्नी अपने माता–पिता को बुलाकर विशाखापट्टनम में अपने ससुराल ले गयी थी और वहां न सिर्फ अपीलार्थी/पति के कार्यस्थल पर जाकर विवाद की बल्कि अपीलार्थी/पति के घर पर भी विवाद की, जिससे अपीलार्थी करीब दो–तीन माह तक अपने घर नहीं आया । तत्पश्चात् अपीलार्थी/पति के अनुसार उत्तरवादी/पत्नी घर से जेवर वगैरह लेकर अपने माता–पिता के साथ भिलाई वापस आ गयी और फिर कभी अपीलार्थी/पति के पास नहीं गयी । जब अपीलार्थी/पति ने उसके विरूद्ध विवाह–विच्छेद का आवेदन पेश किया जिसके पश्चात् उत्तरवादी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति और उसके अन्य परिजनों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना संबंध पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवायी जिसका कोई ठोस आधार नहीं था । अपीलार्थी पर यह भी झूठा आरोप लगायी कि उसका अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है । पश्चात् में विचारण न्यायालय द्वारा उस दाण्डिक मामले में अपीलार्थी पक्ष की दोषमुक्ति की गयी । इस प्रकार से, उत्तरवादी/पत्नी का सम्पूर्ण कृत्य अपीलार्थी/पति के साथ की गयी "क्रूरता" की श्रेणी में पाया जाता है जो विवाह–विच्छेद के लिए एक सम्पूर्ण आधार बनता है ।

21. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष, अभिलेख में प्रस्तुत तथ्य और साक्ष्य के अनुरूप नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की विवेचना समग्रतापूर्वक उचित रूप से नहीं की गयी है । अपीलार्थी/पति "क्रूरता" के आधार पर विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति पाने का हकदार है। जिसे प्रदान न करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गयी है । इसलिए "प्रश्नाधीन निर्णय" स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता ।

22. अतः अपील **स्वीकार** की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/पति के विरूद्ध दिनाँक–30/09/2019 को पारित "प्रश्नाधीन निर्णय" व "आज्ञप्ति" अपास्त की जाती है । धारा–13(1)(ia) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के आधार पर उभयपक्ष के मध्य दिनाँक–12/10/2011 को अनुष्ठापित विवाह विखण्डित कर विवाह–विच्छेद की घोषणा की जाती है ।

23. उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

24. तद्वानुसार, आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन